

Point 140

<http://www.labour.mp.gov.in/Default.aspx>

श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

श्रमायुक्त कार्यालय

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

श्रम कल्याण मंडल

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

Labour Commissioner Organization

Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 provides under Section 3 and 6 that the State Government shall appoint a Labour Commissioner and for his assistance sufficient numbers of Additional Commissioners, Deputy Commissioners, Assistant Commissioners and Labour Officers etc. Accordingly, the Labour Commissioner organization is set up in the state. Under section 4 of the said Act, the Labour Commissioner is also responsible to work as "Chief Conciliator" in the event of industrial disputes in the State. The headquarters of the organization is situated at Indore.

स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। [new](#)

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप- "एच- श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। [new](#)

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (सिंगल विंडो)

- प्रमुख श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञापियाँ
- आवेदन शुल्क जमा करने की विधि
- स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)
- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण
- फीडबैक, सुझाव एवं शिकायतें

मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं

- क्रियान्वयन की स्थिति
- डाउनलोड श्रम सेवा मोबाइल एप्लिकेशन [new](#)

ऑनलाइन सेवाएं

- दुकान एवं अन्य स्थापनाओं का पंजीयन [new](#)
- कारखानों की अनुज्ञापि [new](#)
- मुख्य नियोजता का पंजीयन [new](#)
- ठेकेदार को नवीन अनुज्ञापि का आवेदन [new](#)
- निर्माण संस्थानों का पंजीयन [new](#)

Start | 07:27 PM | 09/02/2016

मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डुईंग बिजनेस

I. प्रमुख श्रम कानूनों के अन्तर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियाँ:

(अ) कारखाना अधिनियम, 1948

- (i) निर्माण कार्य के नक्शे/कारखाना के रूप में उपयोग किये जाने वाले भवन के विस्तार का अनुमोदन।
- (ii) खतरनाक श्रेणी के नवीन कारखाने का पंजीयन/अनुज्ञप्ति।
- (iii) गैर-खतरनाक श्रेणी के नवीन कारखाने का पंजीयन/अनुज्ञप्ति।
- (iv) कारखानों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण
- (v) कारखाने की अनुज्ञप्ति में संशोधन

उपर्युक्त सेवाएँ एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।

(ब) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

- (i) दुकान/स्थापनाओं का पंजीयन
- (ii) स्थापनाओं के पंजीयन का नवीनीकरण
- (iii) स्थापनाओं के पंजीयन का संशोधन
- (iv) स्थापनाओं के पंजीयन का नवीनीकरण एवं संशोधन

ऑनलाईन पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन संबंधी सेवाओं हेतु कृपया यहाँ क्लिक करें।

(स) संविदा श्रम अधिनियम, 1970

- (i) प्रमुख नियोजक/स्थापना का पंजीयन
- (ii) प्रमुख नियोजक/स्थापना के पंजीयन में संशोधन
- (iii) किसी ठेकेदार हेतु अनुज्ञप्ति
- (iv) किसी ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
- (v) किसी ठेकेदार की अनुज्ञप्ति में संशोधन

(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996

- (i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

- (i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं

Detailed Procedure
along with the list of
mandatory

Entire procedure is elaborated and List of Mandatory Documents is provided in Step 4

The screenshot shows a web browser window with the URL labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=130. The page title is 'Licensing of Contractor under Contract Labour Act'. The main content is a table with the following steps:

Form Details :	Download Link	Download attachment	View attachment
Step - 2	आवेदन कब करे		
	ठेका कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व		
Step - 3	आवेदन फार्म		
	ऑनलाईन प्रपत्र-4 (FORM-4)		
Step - 4	आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें) :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रपत्र-4 (FORM-4) में ऑनलाईन आवेदन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिले के श्रम कार्यालय को प्रेषित कर, पोर्टल से आवेदन की प्रिंट निकाल कर काली श्याही को छोड़कर भिन्न श्याही से हस्ताक्षरित कर अपलोड करें। (PDF Format) 2. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो (JPG Format) 3. आवेदक के किसी भी फोटो परिचय पत्र की प्रति। (PDF Format) 4. प्रमुख नियोजक द्वारा प्रपत्र-पाँच (मध्यप्रदेश नियम 21 (2) के अनुसार) में जारी प्रमाण पत्र। (PDF Format) 5. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने संबंधी बैंक चालान/सायबर ट्रेजरी की रसीद (मध्यप्रदेश नियम 26 (2) के अनुसार ठेका श्रमिकों की संख्या के आधार पर)। शुल्क जमा करने हेतु ट्रेजरी का लेखा शीर्ष (Head of Account) के लिए यहाँ क्लिक करें। (PDF Format) 6. निर्धारित अमानत राशि जमा करने संबंधी बैंक चालान/सायबर ट्रेजरी की रसीद (मध्यप्रदेश नियम 24(1) के अनुसार रूपये 200/- प्रति ठेका श्रमिक। अमानत राशि जमा करने हेतु ट्रेजरी का लेखा शीर्ष (Head of Account) के लिए यहाँ क्लिक करें। (PDF Format) 		
Step - 5	देय शुल्क एवं अमानत राशि:		
	देय शुल्क एवं अमानत राशि के विवरण हेतु यहाँ क्लिक करें।		

User Manuals are also available at the module specific web page

http://www.labour.mp.gov.in/Works/PublicCL/cl_Apply.aspx

The screenshot displays the Madhya Pradesh Labour Portal. The main content area is titled "Licensing of Contractors under Contract Labour (R&A) Act, 1970 & MP Rules, 1973". It features a navigation menu with the following items:

- ठेकेदार के नवीन अनुज्ञप्ति
- ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
- ठेकेदार की अनुज्ञप्ति में संशोधन
- ठेकेदार की अनुज्ञप्ति में संशोधन के साथ नवीनीकरण

The main content area contains a "Help" section with the following text:

ठेकेदार के नवीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया
ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण या संशोधन की प्रक्रिया

उक्त सेवा हेतु शुल्क जमा करने हेतु लेखा शीर्ष : "0230 - श्रम एवं रोजगार, 106 (ए) श्रम विधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970"

अमानत राशि जमा करने हेतु लेखा शीर्ष : "के"-जमा एवं अग्रिम, डी-ब्याज मुक्त जमा, 8443-सिविल डिपॉजिट, 116-जमा अंतर्गत राजस्व जमा, संविदा श्रम (विनियमन और समाप्ति) अधिनियम, 1970"

अपने आवेदन की स्थिति जानें : Docket No.

अपना पंजीयन प्रमाणपत्र डाउनलोड करें : Docket No. Password

The footer includes the India Government logo, the NIC logo, and the following text: "About Us | Who Is Who | Submit Feedback | Track Your Feedback Response | Help Center | Track Help Request Response | Register Grievance | Track Grievance Status". The system tray shows the date and time as 08:05 PM 17/03/2016.